| सत्यमेव जयते | राजस्थान राजपत्र विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary |
|---|---|---|
| | साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| | वैशाख 09, शुक्रवार, शाके 1944-अप्रेल 29, 2022 *Vaisakha 09, Friday , Saka 1944- April 29, 2022* | |


भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं

**वित्त विभाग**

**(कर अनुभाग)**

**जयपुर, अप्रेल 27, 2022**

**एस.ओ.12** :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं.एफ.2(7)वित्त/कर/2021-56 दिनांक 30.09.2021 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

**[सं.एफ.2(7)वित्त/कर/2021-56]**

**राज्यपाल के आदेश से,**

जसवंत सिंह,

**संयुक्त शासन सचिव।**

**(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)**

"अधिसूचना

**जयपुर, सितम्बर 30, 2021**

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लो कहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में विनिर्दिष्ट लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और उक्त सारणी के स्तंभ संख्यांक 3 में उनके प्रत्येक के सामने यथा विनिर्दिष्ट दर पर प्रभारित किया जायेगा:-

सारणी

| क्र.सं. | लिखत का विवरण | स्टाम्प शुल्क |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | भू-धृति के पट्टा धृति आधार से पूर्ण स्वामित्व आधार में संपरिवर्तन के पश्चात् पूर्ण स्वामित्व आधार पर नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा जारी पट्टा विलेख | पांच सौ रूपये। |
| 2. | विक्रय, दान, वसीयत, उत्तराधिकार इत्यादि द्वारा पट्टे के अंतरण पर जहां अंतरण की लिखत पर संदेय स्टाम्प शुल्क, यदि कोई हो, पहले ही संदत्त कर दिया गया है, नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा जारी किया गया नया पट्टा विलेख (चाहे पूर्ण स्वामित्व आधार पर या पट्टा-धृति आधार पर) | पांच सौ रूपये। |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | भूमि के उप-विभाजन के पश्चात् नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा जारी नया पट्टा विलेख (चाहे पूर्ण स्वामित्व आधार पर या पट्टा-धृति आधार पर),- | |
| | (i) जहां भूमि एकल पट्टे के अधीन धारित है और उप-विभाजित भागों के नये पट्टा विलेख मूल धारक के नाम से जारी किये गये हैं; | प्रत्येक नये पट्टा विलेख पर पांच सौ रूपये। |
| | (ii) जहां भूमि एकल पट्टे के अधीन दो या अधिक सह-अंशधारियों द्वारा धारित है और उप-विभाजित भागों के नये पट्टा विलेख, उनके अपने-अपने अंशों के अनुपात में अलग-अलग ऐसे सह-अंशधारियों के नाम से जारी किये गये हैं; और | प्रत्येक नये पट्टा विलेख पर पांच सौ रूपये। |
| | (iii) जहां उप-विभाजन उत्तराधिकार के कारण हुआ है और पट्टा विलेख उत्तराधिकारियों के नाम से उनके अपने अंशों के अनुपात में अलग-अलग जारी किये गये हैं। | प्रत्येक नये पट्टा विलेख पर पांच सौ रूपये। |
| 4 | दो या अधिक भू-खण्डों के पुनर्गठन के पश्चात् नगरीय स्थानीय निकाय द्वारा नया पट्टा विलेख (चाहे पूर्ण स्वामित्व आधार पर या पट्टा धृति आधार पर) जारी किया गया है,- | |
| | (i) जहां भू-खण्ड विभिन्न पट्टों के अधीन एकल पट्टेदार द्वारा धारित हैं और पुनर्गठित भू-खण्ड का नया पट्टा विलेख मूल धारक के नाम से जारी किया गया है; और | पांच सौ रूपये। |
| | (ii) जहां भू-खण्ड विभिन्न पट्टों के अधीन विभिन्न पट्टेदारों द्वारा धारित हैं और पुनर्गठित भू-खण्ड का नया पट्टा विलेख, मूल भू-खण्डों में उनके क्षेत्र के अनुपात को ऐसे विलेख में विनिर्दिष्ट करते हुए, मूल धारकों के नाम से संयुक्तत: जारी किया जाता है। | पांच सौ रूपये। |
| 5 | भू-उपयोग के संपरिवर्तन के पश्चात नगरीय स्थानीय निकाय द्ववारा जारी नया पट्टा विलेख (चाहे पूर्ण स्वामित्व आधार पर या पट्टा धृति आधार पर) | भू-उपयोग के संपरिवर्तन के लिए नगरीय स्थानीय निकाय द्ववारा प्रभारित रकम पर हस्तान्तरण पत्र की दर से। |

यह अधिसूचना 02.10.2021 से प्रभावी होगी।

**[सं.प.2(7)वित्त/कर/2021-56]**

**राज्यपाल के आदेश से,**

जसवंत सिंह,

**संयुक्त शासन सचिव''।**

---

**Government Central Press, Jaipur.**